प्रेषक,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन
उत्तरांचल,हल्द्वानी (नैनीताल)

सेवा में,

प्रधानाचार्य / आहरण वितरण अधिकारी,
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हरिद्वार ,
उत्तरांचल ।

पत्रांक 6123-84 टीटीईयू / 0202 / 40आ0–42 / 2005–06 दिनांक : 07 मार्च,2006

विषय : वित्तीय वर्ष 2005–06, अनुदान संख्या –16, लेखाशीर्षक : 2230– श्रम तथा रोजगार, 03–प्रशिक्षण, 003–दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, 03–दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान के अन्तर्गत आयोजनागत के पक्ष में वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तरांचल शासन देहरादून के शासनादेश सं0–1609 / VIII / 69–प्रशि / 2005, दिनांक 16, फरवरी,2006 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2005–06, अनुदान संख्या–16, लेखाशीर्षक 2230–03 –003–03 दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान, **आयोजनागत** की योजना हेतु नव सृजित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भगवानपुर जनपद–हरिद्वार के लिए विभिन्न मदों में कुल रू0 1400 हजार (रू0 चौदह लाख मात्र) की स्वीकृति प्राप्त हुई है । प्राप्त स्वीकृति के सापेक्ष रू0 200 हजार (रू0 दो लाख मात्र) का बजट आवंटन पत्र निम्न प्रतिबन्धों एवम् निर्देशों के अधीन प्रेषित किया जा रहा है । यह आवंटन प्रथम बार किया जा रहा है।

1. उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर स्वीकृत की जा रही है कि उक्त मद में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये ।

2. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुवल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाये । व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों एवम् अन्य आदेशों में निहित निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है ।

3. आवंटित की जा रही धनराशि का 31 मार्च 2006 से पूर्व पूर्ण उपयोग कर लिया जाये । यदि किसी मद में धनराशि के व्यय होने की सम्भावना न हो तो उसे तत्काल समर्पित कर दें । 31 मार्च 2006 से पूर्व प्रत्येक दशा में समस्त मदों में अवशेष सम्पूर्ण धनराशि समर्पित कर दी जाय, ताकि उसका सदुपयोग समयान्तर्गत किया जा सके । यदि दिनांक 31 मार्च 2006 तक अवशेष धनराशि को समर्पित न करने से लैप्स हुई धनराशि के लिये पूर्ण रूप से सम्बन्धित प्रधानाचार्य / आहरण–वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे ।

4. व्यय करते समय स्टोर क्रय रूल्स, डी0जी0एस0एण्डडी0 की दरों एवं शर्तों, कोटेशन एवं टेंडर आदि विषयक नियमों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें । क्रय किये गये सामानों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय । क्रय किये जाने वाले सामानों का मानक के अनुरूप होना अनिवार्य है । उपकरणों आदि का क्रय प्रत्येक ट्रेड के एन0सी0वी0टी0 के मानक के अनुसार ही किया जायेगा ।

5. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के अनुदान संख्या–16, मुख्य लेखाशीर्षक 2230–श्रम तथा रोजगार, 03–प्रशिक्षण, 003–दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, 03–दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान, **आयोजनागत** के सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

...2...

वित्तीय वर्ष 2005–06 अनुदान सं0–16

लेखाशीर्षक: 2230–03–003–03 आयोजनागत (धनराशि हजार रू0 में)

मद संख्या एवं मद का नाम	प्रधानाचार्य / आहरण वितरण अधिकारी राजकीय औ0प्र0संस्थान, हरिद्वार पूर्व आवटन	वर्तमान आवटन	योग
1	2	3	4
01–वेतन	–	01	01
03–मंहगाई भत्ता	–	01	01
04–यात्रा भत्ता	–	01	01
06–अन्य भत्ते	–	01	01
08–कार्यालय व्यय	–	50	50
09–विधुत व्यय	–	50	50
10–जलकर / जलप्रभार	–	01	01
11–लेखन सामग्री एवं फार्म छपाई	–	12	12
12–कार्या0 फर्नीचर / उपकरण	–	01	01
13–किराया उपशुल्क	–	01	01
21–छात्रवृत्ति / छात्रवेतन	–	10	10
42–अन्य व्यय	–	70	70
48–मंहगाई वेतन	–	01	01
योग	–	200	200

(रू0 दो लाख मात्र)

आहरण–वितरण अधिकारियों द्वारा मासिक व्यय विवरण 11–सी, बी0एम0–08 तथा राजस्व प्राप्ति का जनपद स्तर पर संकलित विवरण एवम् कोषागार से प्राप्त रिकंसिलेशन शीट प्रत्येक दशा में प्रत्येक माह की पांच तारीख तक निदेशालय अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें , विलम्ब से प्राप्त होने वाली सूचना के लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे ।

भवदीय,

(डा0 पी0 एस0 गुसांई)
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या : 673-84 / डीटीईयू / 0202 / ब0आ0–42 / 2005–06 07 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी हरिद्वार ।
2. संयुक्त निदेशक (प्रशि0 / शिशिक्षु) गढवाल मण्डल श्रीनगर जनपद–पौडी गढवाल ।
3. सचिव, श्रम एवम् सेवायोजन उत्तरांचल शासन देहरादून ।
4. महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून ।
5. जिलाधिकारी पौडी गढवाल ।
6. श्री एल0 एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त बजट, उत्तरांचल शासन ।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव ।
8. वित्त अनुभाग–5 ,उत्तरांचल शासन, देहरादून ।
9. नियोजन विभाग ।
10. एन0आई0सी0 सचिवालय, देहरादून ।
11. गार्ड फाईल ।

(डा0 पी0 एस0 गुसांई)
निदेशक।

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन
उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)